न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, खेतडी, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – प्रेम सिंह धनवाल
जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी विविध प्रार्थना पत्र धारा–13 एचएमए) संख्या–53/2020
CIS No. Family Main/53/2020

कौशल चन्द पुत्र रामनिवास, उम्र 35 वर्ष, निवासी अटाली, पोस्ट दुलोठ जाट, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

––याची

बनाम

श्रीमती सुनीता पत्नी कौशलचन्द पुत्री भोमाराम, उम्र 32 वर्ष, निवासी अटाली, पोस्ट दुलोठ जाट, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा हाल आबाद त्योंदा, तहसील खेतडी, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

––अयाची

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–13 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

उपस्थिति–
01. श्री विक्रम सिंह निर्वाण – विद्वान अधिवक्ता वास्ते याची
02. श्री सुभाष दाधीच – विद्वान अधिवक्ता अयाची

–:: निर्णय ::–

दिनांक 05 मई, 2026

(01) प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत व आवश्यक तथ्य इस प्रकार से है कि–याची कौशल चन्द की ओर से अयाची श्रीमती सुनीता के विरूद्व याचिका मुख्य रूप से इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की गई कि याची का विवाह अयाची के साथ दिनांक 25.02.2004 को हिन्दू रीति रिवाज एवं सप्तपदी के बदस्तूर सहित अयाची के पिता के घर ग्राम त्योंदा तहसील खेतडी जिला–झुंझुनू में सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद पक्षकारान बतौर पति पत्नी सयाथ रहे व दाम्पत्य जीवन निभाते हुए याची के नुत्फे से अयाची के एक पुत्र वरूण कुमार दिनांक 26.03.2008 को पैदा हुआ। विवाह के बाद से ही अयाची का व्यवहार याची के प्रति क्रूरतापूर्ण रहा। अयाची याची को हर समय तंग परेशान करती, उसके परिजनों के साथ लड़ती झगती, घर का काम नहीं करती, घर आए मेहमानों/रिश्तेदारों के सामने याची व उसके परिजनों को गाली गलौच करती व याची को छोड़कर चले जाने की धमकी देती। दिनांक 17.10.2013 को मोटर दुर्घटना में याची घायल हो गया और उसके दाहिने पैर में गम्भीर चोट आने के कारण पैर को घुटने से ऊपर काट दिया। अयाची के माता पिता याची से मिलने आए तब उन्होंने याची की हालत

देखकर अयाची को कहा कि यह तो अब विकलांग हो गया, तेरे लायक नहीं रहा, इस विकलांग के पास रहकर क्या करेगी। उक्त दुर्घटना के 15 दिन बाद ही माह नवम्बर 2013 में अयाची अपने माता पिता के बहकावे में आकर अपने पुत्र एवं समस्त स्त्रीधन व सामान साथ लेकर अपने पीहर चली गई। याची का पुत्र वर्तमान में अयाची के पास रह रहा है। अयाची सदैव कहती कि वह तुम्हारे परिवार केसाथ नहीं रहना चाहती, यदि उसे साथ रखना है तो परिवार से अलग रहो। याची ने अयाची को समझाया, परन्तु अयाची याची से बिना वजह लड़ाई झगड़ा कलह रखने लगी, जिससे घर का माहौल खराब हो गया। अयाची के परिजन भी अयाची का सहयोग करते। अयाची याची के नाबालिग बच्चे की न तो सही तरीके से परवरिश कर रही है, न ही किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करवा रही है। अयाची के परिजन शराबी प्रवृति के व्यक्ति हैं और शराब पीकर लड़ाई झगड़ा व गाली गलौच करते हैं, जिससे याची के पुत्र के चरित्र पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके बावजूद भी याची, अयाची व अपने बच्चे को लाने ससुराल गया, परन्तु अयाची के परिजनों ने याची को गाली गलौच कर घर से धक्का देकर निकाल दिया और अयाची को साथ भेजने से मना कर दिया। दिनांक 16.06.2020 को याची अपने परिजनों व गांव के मुखिया लोगों को साथ लेकर अयाची को लाने अपने ससुराल गया, जहां मुखिया लोगों ने अयाची व उसके परिजनों को समझाया, परन्तु अयाची ने याची के साथ आने से साफ इंकार कर दिया व कहा कि वह कभी भी याची के साथ नहीं रहेगी। याची ने अयाची को लाने के काफी प्रयास किए, परन्तु विफल हो गए। अयाची ने याची की इच्छा के विरूद्व व बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण याची का परित्याग कर रखा है। इस प्रकार अयाची ने स्थाई रूप से अपने वैवाहिक दायित्व व कर्तव्यों का निर्वहन व पालन करना छोड़ दिया है। विवाह के समय से ही अयाची का व्यवहार व आचरण याची व उसके परिजनों के प्रति क्रूरतापूर्ण व हिंसात्मक रहा है, जिसके कारण याची का अयाची के साथ बतौर पत्नी के रूप में रहकर जीवन यापन करना कतई संभव नहीं रहा है। पक्षकारान के मध्य कोई दूरभि संधि नहीं है। अतः याची व अयाची के मध्य सम्पन्न हुये विवाह दिनांक 25.02.2004 विघटित कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जावे।

(02) अयाची सुनीता की ओर से जवाब याचिका प्रस्तुत कर याची का अयाची के साथ

विवाह होना स्वीकार किया। आगे अभिवचन किया गया कि विवाह कि बाद जब अयाची विदा होकर ससुराल गई तब उसका नववधु के रूप में स्वागत नहीं किया व कम दहेज लाने के ताने दिए तथा दहेज में मोटरसाईकिल, फ्रिज व 50,000/–रूपयों की मांग करने लगे। जब अयाची अपने पीहर गई तब सारी बातें अपने माता पिता को बताई तब उन्होंने कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अयाची पुनः याची के साथ ससुराल चली गई। अयाची के ससुराल पहुंचने पर याची व उसके परिजन पुनः दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे, मारपीट करते। इस प्रकार अयाची के साथ याची व उसके परिजनों का व्यवहार क्रूरतापूर्ण होने लगा। अयाची ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की तब उन्होंने याची व उसके परिजनों को समझाया तब याची ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। इसके पश्चात कुछ दिन तक अयाची को ठीक रखा, परन्तु पुनः दहेज की मांग को लेकर मारपीट व भूखी प्यासी रखने लगे। अयाची लोक लिहाज के कारण सब कुछ सहन कर स्त्रीधर्म का पालन करती रही। दिनांक 26.03.2008 को अयाची के याची के अंश से एक पुत्र वरूण का जन्म हुआ। याची स्वयं शराब का आदी है और अपने दोस्तो को घर बुलाकर शराब का सेवन करता। अयाची ने उनको मना किया क्योंकि अयाची के घर में कोई शराब नही पीता। अयाची का पुत्र अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में अध्ययन कर रहा है व होशियार विद्यार्थी है। याची ने अयाची को कभी भी लाने का प्रयास नहीं किया जबकि अयाची ने अपने ससुराल जाने के लिए व घर बसाने के लिए काफी प्रयास किए। अयाची के परिजनों ने भी याची को काफी बार समझाने का प्रयास किया, परन्तु याची ने अयाची को रखने से मना कर दिया। याची ने अयाची को लाने के कोई प्रयास नहीं किया। अयाची के पिता ने छुछक में याची व उसके परिजनों की मांग पूरी नहीं की तब उनका व्यवहार अयाची के प्रति और अधिक क्रूरतापूर्ण हो गया। याची जब अपनी ड्यूटी पर जाता तब अपने परिजनों को कहकर जाता कि अयाची को अधिक से अधिक तंग परेशान करो। इस संबंध में अयाची ने अपने परिजनों से शिकायत की। जिस पर अयाची के पिता कई मुखियाओं को लेकर याची व उसके परिजनों को समझाया, परन्तु पुनः अयाची के साथ मारपीट शुरू कर देते। दिनांक 02.06.2014 को याची व उसके परिजनों ने अयाची को बुरी तरह मारपीट की व उसका समस्त स्त्रीधन अपने पास रख लिया व पहने हुए

कपड़ों में ही मारपीट कर पुत्र सहित घर से निकाल दिया। जिस पर अयाची बड़ी मुश्किल से अपने पिता के घर पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। अयाची मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर एवं अस्वस्थ रहने लगी। अतिरिक्त उत्तर में अयाची ने अभिवचन किया कि याची ने अयाची को दहेज के लिए मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से क्रूरता की एवं अपने साथ रखने से मना कर दिया तब अयाची ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी के समक्ष याची के विरूद्व धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने क्रूरता का मानते हुए स्वीकार लिया। याची आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 174/2020 धारा 346 भारतीय दण्ड संहिता अटेली मण्डी में महिला को छुपा कर रखने का प्ररकण दर्ज हुआ है। अंत में याची ने अयाची का जानबूझकर बिना किसी कारण के परित्याग कर रखा है। अतः याची की याचिका अस्वीकार की जावे।

(03) उभयपक्षों के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर याचिका में निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये–

01. क्या अयाची ने दिनांक 25.02.2004 को याची से विवाह सम्पन्न होने के पश्चात लड़ाई झगड़ा कर तथा नवम्बर 2013 से याची का बिना कारण परित्याग कर मानसिक व भावनात्मक क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

——याची

02. क्या याची का अयाची के साथ पति पत्नी के रूप में रहना संभव नहीं है ?

——याची

03. क्या याची दिनांक 25.02.2004 को अयाची के साथ सम्पन्न हुए विवाह को विघटित कराए जाने का अधिकारी है ?

——याची

04. अनुतोष

(04) याची की ओर से अपनी याचिका के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं याची ए0ड0–01 कौशल चन्द, याची के पड़ौसी ए0ड0–02 ओमप्रकाश के कथन लेखबद्व करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में स्थायी अयोग्यता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) प्रदर्श–01, भरण पोषण के संबंध में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश खेतडी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02 प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाए गए।

(05) अयाची की ओर से अपने जवाब याचिका के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं अयाची एन0ए0ड0–01 सुनीता, अयाची के भाई एन0ए0ड0–02 सुनील कुमार, अयाची के पीहर पक्ष के पड़ौसी एन0ए0ड0–03 सावंरमल शर्मा के कथन लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतडी का धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–01 प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाए गए।

(06) बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली एवं विधि के प्रावधानों का अवलोकन व मनन किया गया।

(07) विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से मौखिक बहस करते हुये याचिका में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्क के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए–

01. 2005 DNJ (SC) 748, Geeta Jagdish Mangtani Vs Jagdish Mangtani

02. 2007(2) DNJ (Raj.) 644, Ramesh Jangid Vs Smt. Sunita

03. 2006(3) DNJ (Raj.)1656, Tara Devi Vs Arun Kumar

(08) अयाची की ओर से मौखिक बहस करते हुये जवाब याचिका में अंकित को दोहराया गया तथा याचिका अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया अपने तर्क के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए–

01. (2010) 92 AIC 239 (SC) Neelam Kumar Vs Dayarani

02. (2010) 87 AIC 72 (SC) Manish Tyagi Vs Deepak Kumar

03. (1996) DNJ 233 (Raj.) Chetndas Vs Smt. Kamla Devi

04. 2024 (AHC) 122037 DB. Jyotishi Chandra Vs Smt. Deveshwari

05. 2013 AIR (Kal.) 143, Jaya Krishnan G Nair Vs Shlini Prasanna

06. 1964 AIR (SC) 40, Lachman Uttamchand Vs Meena @ Mota

(09) उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का उभयपक्षों की ओर से दिये गये तर्को व विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत विवेचन व विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रत्येक विवाद्यक पर विनिश्चय इस प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 01 लगायत 03

(10) विवाद्यक संख्या 01 लागयत 03 को प्रमाणित करने का भार याची पर है। साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने एवं तथ्यों की समानता के आधार पर तीनों विवाद्यकों पर एक साथ विवेचन करते हुये निष्कर्ष दिया जा रहा है।

(11) याची की ओर से याचिका के समर्थन में स्वयं ए0ड0–01 कौशल चन्द, याची के पड़ौसी ए0ड0–02 ओमप्रकाश के कथन लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में स्थायी अयोग्यता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) प्रदर्श–01, भरण पोषण के संबंध में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश खेतडी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02 प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाए गए।

(12) याची/साक्षी ए0ड0–01 कौशल चन्द ने साक्ष्य शपथ पत्र में याचिका में अंकित कथनों को दोहराया गया है तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि उनके एक पुत्र वरूण हुआ है। वह अपने पुत्र वरूण से वर्ष 2020 में मिलने गया था, परन्तु अयाची के परिवार वालों ने मिलने नहीं दिया। उसका पुत्र वरूण सरकारी स्कूल त्योंदा में 10वीं कक्षा में पढ़ता है। साक्षी स्वीकार करते है कि शादी के 08 वर्ष तक उनका संबंध मधुर रहे थे। उसने अपनी पत्नी के साथ कभी भी मारपीट नहीं की थी। उसका बच्चा अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, जो जबरदस्ती लेकर गई थी। उसने अपने बच्चे को वापस लाने के लिए कोई केस नहीं किया। दिनांक 16.06.2020 को साक्षी, गांव के मुखिया कुंदनलाल सरपंच, रणवीर नम्बरदार, भाई बिटू, मामा हरिश व सतीश बच्चेको लेने गए थे। इस सुझाव से इंकार किया कि तलाक याचिका पेश करने से पूर्व उसकी पत्नी व उसके मध्य कोई शारीरिक संबंध बने थे। साक्षी स्वीकार करते है कि उसके एक्सीडेंट होने पर उससे उसकी पत्नी के घरवाले कभी मिलने नहीं आए। साक्षी स्वीकार करते है कि दिनांक 17.10.2013 से पूर्व वह सुनीता के माता पिता से मिला था। एक्सीडेंट होने के पश्चात उसने नौकरी की थी। उसकी पत्नी नवम्बर 2013 में ही छोड़कर आ गई थी। इस सुझाव से इंकार किया कि जनवरी 2014 में उसने अपनी पत्नी को मारपीट कर निकाल दिया हो। वर्ष 2013 से पूर्व उसकी पत्नी घर पर थी, जिसका व्यवहार ठीक नहीं था। इस सुझाव से इंकार किया कि उसके परिजनों ने दहेज के लिए उसकी पत्नी के साथ मारपीट की हो।

उसने अपनी पत्नी को लाने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया, न ही धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम का केस फाईल किया। साक्षी स्वीकार करते है कि उसकी पत्नी ने उसके विरूद्व कोई केस पुलिस थाने में नहीं किया। वह दिनांक 16.06.2020 को त्योंदा आया था। इस सुझाव से इंकार किया दिनांक 11.05.2020 को गांव के मौजिज व्यक्तियों को लेकर उसके घर पर गए हो और वहां मिटिंग की हो। साक्षी स्वीकार करते है कि तलाक याचिका पेश करने से पूर्व दिनांक 07.07.2020 तक वह अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता था और प्रयास भी किए थे। साक्षी स्वीकार करते है कि उसने अपने आवेदन पत्र के खण्ड संख्या 03 व 04 में झगड़ा का कारण लिखा है और आवेदन पत्र में लिखा हुआ है कि उसका पैर कटने की वजह से जानबूझकर छोड़कर आ गई थी। साक्षी स्वीकार करते है कि उन दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते है। साक्षी स्वीकार करते है कि तलाक याचिका में यह कहीं भी नहीं लिखा कि उसकी पत्नी ने उसे लगातार तंग परेशान किया हो। इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अपनी पत्नी को जनवरी, 2014 में दहेज के लिए मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया हो। साक्षी स्वीकार करते है कि तलाक याचिका में जो मारपीट, क्रूरता के आरोप लगाए हैं, उसकी उसने दिनांक अंकित नहीं की। साक्षी स्वीकार करते है कि उसके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 174/2020 थाना अटेली में दर्ज हुई थी। इस सुझाव से इंकार किया कि किसी महिला ने उसके विरूद्व मुकदमा दर्ज करवाया हो। साक्षी स्वीकार करते है कि उसने भारतभूषण की पत्नी को लिविंग रिलेशनशिप में रखा था।

(13) याची की ओर से प्रस्तुत साक्षी ए0ड0–02 ओमप्रकाश अपने साक्ष्य शपथ पत्र में याचिका तथा याची ए0ड0–01 कौशल चन्द के साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि उसका घर कौशल के घर से थोड़ी दूर है। उसने सुनीता को कौशल का एक्सीडेंट होने से पहले देखा था, उसके बाद नहीं देखा। साक्षी कौशल की बारात में गया था। दोनों की शादी वर्ष 2004 में हुई थी। वर्ष 2013 के बाद दोनों साथ नहीं रहे। कौशल सुनीता को लाने कई गया था। दिनांक 16.06.2020 को सुनीता के माता पिता लड़की को ले गए। कौशल का लड़का कहां पढ़ता है, उसे नहीं पता। इस सुझाव से इंकार किया कि कौशल ने सुनीता को दहेज के लिए मारपीट करके घर से निकाल दिया

हो। सुनीता ने कौशल पर भरण पोषण का केस कर रखा हो तो उसे पता नहीं। मिटिंग के लिए व्यक्ति 16.04.2020 को त्योंदा आए थे। कौशल का एक्सीडेंट दिनांक 17.10.2013 को हुआ था। इस सुझाव से इंकार किया कि कौशल ने सुनीता को वर्ष 2014 में मारपीट करके घर से निकाल दिया हो। शपथ पत्र के खण्ड नं0–07 में कौशल ने सुनीता व बच्चे को लाने का काफी प्रयास किया, परन्तु सुनीता इंकार कर देती तथा उसके घर वाले नहीं भेजते, यह बात उसने खुद नहीं देख, ना ही कौशल ने बताया, अजखुद कहा कि उसने गांव के सरपंच, नम्बरदार व कौशल को बोलेरो गाड़ी में सुनीता को लाने के लिए त्योंदा जाते हुए देखा था। वह वहां नहीं गया। वर्ष 2013 के बाद कौशल बच्चे से मिलने नहीं आया। कौशल उसे रोज मिलता है, उसका पड़ौसी है। वह और कौशल सुनीता का समझौता कराने कई बार उनकेघर गया था। इस सुझाव से इंकार किया कि कौशल ने सुनीता को जानबूझकर छोड़ रखा हो। उसे नहीं पता कि कौशल के विरूद्व अटेली थाने में किसी महिला को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज हुआ हो और उस लड़की से शादी कर रखी हो और उस लड़की से शादी के कारण कौशल ने सुनीता का परित्याग कर रखा हो।

(14) अयाची की ओर से अपने जवाब याचिका के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं अयाची एन0ए0ड0–01 सुनीता, अयाची के भाई एन0ए0ड0–02 सुनील कुमार, अयाची के पीहर पक्ष के पड़ौसी एन0ए0ड0–03 सावंरमल शर्मा के कथन लेखबद्व करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतडी का धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–01 प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाए गए।

(15) अयाची/साक्षी एन0ए0ड0–01 सुनीता ने साक्ष्य शपथ पत्र में जवाब याचिका में अंकित कथनों को दोहराया गया है तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करती है कि उसने अपने जवाब आवेदन पत्र में दहेज की मांग किस–किस तारीख को की थी, नहीं लिखा है। कौशल का एक्सीडेंट मोटरसाईकिल से हुआ था। कौशल का दाहिना पैर कटा था, जिसका दिल्ली में 07–08 महिने इलाज चला था। इस सुझाव से इंकार किया इलाज के 07–08 महिने के दौरान वह कौशल से मिलने ना गई हो। उसे उसके घरवाले मिलाने के लिए ले गए थे, ससुराल वाले भी साथ गए थे। जब कौशल 04 महिने आई.सी.यू. में था, तब वह मिलने गई थी। उस

समय कौशल ने 04 सेवादार रख रखे थे जो आर्मी वालों ने उपलब्ध करवाए थे। आर्मी अस्पताल था। उक्त अस्पताल से सीधा पुणे रेफर किया, जहां 04–05 महिने इलाज चला, परन्तु ससुराल वाले उसे वहां लेकर नहीं गए, वह ससुराल में ही थी। इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 16.06.2020 को मिटिंग हुई हो। कौशल का पैर दिनांक 17.10.2013 को कटा था। इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 17.10.2013 से पहले कौशल ने उसके साथ मारपीट करके घर से बाहर नहीं निकाला हो। वर्ष 2008 में उसके बच्चा हुआ तब जापे में उसके साथ मारपीट की, गला भी दबाया तथा घर से बाहर निकाल दिया था। साक्षी स्वीकार करती है कि करीब 12–13 वर्ष से वह अपने पति से अलग रह रही है और इस दौरान सहवास भी नहीं हुआ। आखिरी समय में उसे कोई लेने नहीं गया, उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। साक्षी स्वीकार करती है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, अजखुद कहा कि क्योंकि वह अपने साथ दूसरी रख रहा है, फिर अजखुद कहा कि वह तो जाना चाहती है। साक्षी स्वीकार करती है कि उसका भरण पोषण का आदेश अपर जिला न्यायाधीश से खारिज हो चुका है। साक्षी स्वीकार करती है कि उसने धारा 498ए भा0द0सं0 का कहीं किसी थाने में कोई मकदमा दर्ज नहीं करवाया। इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 17.10. 2013 को उसके पति का पैर कट जाने की वजह से उसने अपने पति को छोड़ दिया हो। इस सुझाव से इंकार किया कि उसके पति ने मोटरसाईकिल, फ्रिज व 50 हजार रूपए की मांग नहीं की हो।

(16) साक्षी एन0ए0ड0–02 सुनील कुमार जो कि याची के भाई है, अपने साक्ष्य शपथ पत्र में जवाब याचिका तथा याची एन0ए0ड0–01 सुनीता के साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार करते है कि शादी के समय दहेज की मांग नहीं की गई, अपितु शादी के बाद दहेज की मांग की गई थी। कितनी कितनी तारीख को दहेज की मांग की गई, यह उसने शपथ पत्र में नहीं लिखा। साक्षी स्वीकार करते है कि उसने, उसकी बहन व उसके परिवार वालों ने कहीं भी दहेज का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। याची दिनांक 08 अगस्त, 2020 से लिव इन रिलेशनशीप में भारतभूषण की पत्नी के साथ रह रहा है, जिसकी एफ.आई.आर. दर्ज हुई, जो पत्रावली पर संलग्न है। इस सुझाव से इंकार किया कि

दिनांक 16.06.2020 को याची उसकी बहन को लेने नहीं आया हो। अटाली गांव में सरपंच के घर पर मिटिंग हुई थी, सरपंच का नाम कुंदनलाल था। मिटिंग में साक्षी, साक्षी के परिवारजन व याची के पिता मौजूद थे। एक्सीडेंट दिनांक 17.10.2013 के बाद जब याची एम.एचत्र दिल्ली हॉस्पिटल में याची भर्ती थे तब साक्षी मिलने गया था, साक्षी के साथ उसके परिजन भी गए थे। उस समय साक्षी की ड्यूटी दिल्ली में थी, साक्षी रोज मिलने जाता था। जब याची भर्ती था तब उसकी बहन भी मिलने गई थी। साक्षी स्वीकार करते है कि दिनांक 02.06.2014 की मारपीट करने वालों का नाम नहीं लिखा अजखुद कहा कि सास ससुर ने मारपीट की थी। दिनांक 21.06.2015 को नारनौल में मिटिंग में साक्षी, उसके परिजन, समाज के सदस्य तथा याची के परिजन मौजूद थे, याची मौजूद नहीं था। साक्षी स्वीकार करते है कि उसकी बहन 12–13 वर्ष से अपने पति से अलग रह रही है। इस सुझाव से इंकार किया कि उसकी बहन याची के साथ नहीं चाहती हो। इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसकी बहन याची का पैर कटने के कारण उसे (याची को) छोड़कर आ गई हो।

(17) साक्षी एन0ए0ड0–03 सांवरमल शर्मा जो कि अयाची के पीहर पक्ष के पड़ौसी है, अपने साक्ष्य शपथ पत्र में जवाब याचिका तथा याची एन0ए0ड0–01 सुनीता व साक्षी एन0ए0ड–02 सुनील कुमार के साक्ष्य शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताते है कि शादी हुई त बवह वही मौजूद था, फेरे उसने स्वयं ने ही करवाए थे। शादी राजी खुशी हुई थी, उस समय कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी। साक्षी स्वीकार करते है कि शपथ पत्र के पैरा नं0–02 के ए–बी भाग में क्रूरतापूर्ण लिखा हुआ है, उसका मतलब साक्षी नहीं समझता। याची को शराब पीते हुए देखा था जो जेबड़ा से मारपीट करता था। जांगिड समाज की मिटिंग नारनौल में किस स्थान पर हुई उसे नहीं पता। अटाली गांव में दिनांक 21.06.2016 को एक बार ही गया था। मिटिंग सरपंच के घर हुई थी। साक्षी स्वीकार करते है कि दिनांक 16.06.2020 को याची ने समाज के मुखिया लोगों के समक्ष मिटिंग की होगी, परन्तु उस मिटिंग में साक्षी मौजूद नहीं था। साक्षी स्वीकार करते है कि लड़के का पैर कट गया। इस सुझाव से इंकार किया कि पैर कटने की वजह से लड़की लड़के को छोड़कर अपने माता पिता के घर चली आई हो। इस सुझाव से भी इंकार किया कि लड़की ने लड़के का पैर कटने

की वजह से परित्याग कर रखा हो। लड़के ने दूसरी शादी कर रखी है।

(18) प्रकरण में उभयपक्षों के अभिवचन व साक्ष्य के आधार पर यह स्वीकृत स्थिति है कि पक्षकारान पति पत्नि है, जिनका विवाह दिनांक 25.02.2004 को हुआ था और जिनके वैवाहिक संबंधों से एक अवयस्क पुत्र वरूण उत्पन्न हुआ है।

(19) याची ए0ड0–01 कौशल चन्द ने याचिका व साक्ष्य शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में अयाची पर मानसिक व शारीरिक क्रूरता करने का आरोप लगाये हैं, जिसके अन्तर्गत तंग परेशान करना, लड़ाई झगड़ा करना, घरेलू कार्य नहीं करना, बाहर के लोगों के सामने गाली गलौच करना, घर की नौकरानी नहीं होना, बेइज्जत करना, याची को छोड़कर चले जाने की धमकी देना, परिवार के साथ नहीं रहना, परिवार से अलग रहना इत्यादि बताये हैं और इसी आधार पर विवाह विच्छेद का अनुतोष चाहा है।

(20) इसके विपरीत अयाची एन0ए0ड0–01 सुनीता ने जवाब याचिका व साक्ष्य शपथ पत्र में यह बताया गया कि दिनांक 25.02.2004 को विवाह सम्पन्न होने के पश्चात दहेज की मांग को दिनांक 02.06.2014 को मारपीट कर पहने हुए कपड़ो में ही पुत्र सहित घर से निकाल दिया। अयाची ने यह भी बताया कि याची ने उसके साथ क्रूरता कारित की जबकि अयाची ने अपना घर बचाए रखने के हर संभव प्रयास किए और याची ने जानबूझकर उसका परित्याग कर रखा है।

(21) इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्त **2024 (AHC) 122037 DB. Jyotishi Chandra Vs Smt. Deveshwari** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि–''तलाक के आधार के रूप में क्रूरता–अर्थ और दायरा–क्रूरता इस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे याचिकाकर्ता के मन में यह उचित आंशका उत्पन्न हो कि प्रतिवादी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक या कष्टदायक होगा''। क्रूरता के लिए ऐसा निरन्तर आचरण आवश्यक है, जिससे मानसिक पीड़ा, यातना या कष्ट या जीवन अंग या स्वास्थ्य को हानि या खसरे की उचित आशंका के कारण साथ रहना असंभव हो जाए। हस्तगत प्रकरण में याची ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किये जाने से संबंधित किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया है, न ही किसी ऐसे स्वतंत्र साक्षी को

परीक्षित करवाया है, जो याची के परिवार की ओर से समझाईश हेतु अयाची व उसके परिजनों से की गई हो। यहां यह उल्लेखनीय है कि याची की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह प्रगट होता हो कि अयाची द्वारा याची के साथ निरन्तर क्रूरता कारित की गई, जिससे याची को मानसिक पीड़ा, यातना या कष्ट या जीवन अंग या स्वास्थ्य को हानि या खसरे की उचित आशंका हुई हो। स्वयं याची ए0ड0–01 कौशल चन्द प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते है कि शादी के 08 वर्ष तक उनके संबंध मधुर रहे थे। उक्त साक्षी यह भी स्वीकार करते है कि तलाक याचिका में जो मारपीट, क्रूरता के जो आरोप लगाए हैं, उसकी दिनांक अंकित नहीं है। उक्त साक्षी यह भी स्वीकार करते है कि तलाक याचिका में यह कहीं भी नहीं लिखा कि उसकी पत्नी ने उसे लगातार तंग परेशान किया हो। साक्षी ए0ड0–02 ओमप्रकाश प्रतिपरीक्षण में बताते है कि दोनों की शादी वर्ष 2004 में हुई थी तथा वर्ष 2013 के बाद दोनों साथ नहीं रहे। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह भी बताते है कि कौशल सुनीता के साथ कई बार मारपीट करता था। इस प्रकार उक्त याची/साक्षीगण की साक्ष्य से वर्ष 2004 में विवाह होने के पश्चात से दिनांक 17.10.2013 से पूर्व तक पक्षकारान के मध्य मधुर संबंध रहना प्रमाणित होता है।

(22) याची ने याचिका के पैरा संख्या–10 में यह उल्लेखित किया है कि–अयाची ने याची की इच्छा के विरूद्व व बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण याची का परित्याग कर रखा है। इस संबंध में विचार किया गया। अयाची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **(1996) DNJ 233 (Raj.) Chetndas Vs Smt. Kamla Devi** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि–''परित्याग के लिए शारीरिक अलगाव और सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा (एनिमस डेसेरेंडी) दोनों आवश्यक है–अलग रहने की बात स्वीकार करना स्वतः परित्याग सिद्व नहीं करता, इरादा भी स्थापित होना चाहिए–यदि कोई पति या पत्नी दूसरे पति या पत्नी के दुराचार (जैसे व्यभिचार) के कारण अलग हो जाता है, तो अलग होने वाले पति या पत्नी को परित्याग का दोषी नहीं माना जाता है''। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त **1964 AIR (SC) 40, Lachman Uttamchand Vs Meena @ Mota** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि–''त्याग के लिए

पृथक्करण का तथ्य और त्याग करने वाले पति या पत्नी द्वारा सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा (निषेध त्याग) दोनों आवश्यक है। इसके अलावा त्यागे गए पति या पत्नी की ओर से सहमति का अभाव और उचित कारण का अभाव भी आवश्यक है''। याची की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे दोनों पक्षों में अलगाव हो, उनका स्थायी रूप से सहवास समाप्त करने का इरादा प्रगट होता हो। यद्यपि अयाची एन0ए0ड0–01 सुनीता ने प्रतिपरीक्षण में करीब 12–13 वर्ष से उसके व कौशल का सहवास नहीं होना बताया है। परन्तु दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रगट होता है कि पक्षकारान वर्ष 2014 से पृथक–पृथक रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में वर्ष 2014 से अब तक पक्षकारान के मध्य सहवास न होना प्रगट होता है। केवल अलग रहना तथा सहवास नहीं करना, परित्याग के तथ्यों को पूर्ण नहीं करता, जबकि जानबूझकर स्थायी रूप से सहवास से इंकार करना साबित नहीं होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि याची ने याचिका के पैरा संख्या 11 में वाद कारण में यह अंकित किया गया है कि अयाची द्वारा याची के साथ रहने से साफ इंकार करने, किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध रखने व अयाची द्वारा याची व उसके परिजनों के प्रति क्रूरतापूर्ण व हिंसात्मक रवैया अपनाने से पैदा हुआ। परन्तु याची की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य दस्तावेजी प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह प्रगट होता हो कि अयाची का किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध हो। स्वयं अयाची ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह तो जाना चाहती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वयं याची की स्वीकारोक्ति के आधार पर याची का भारतभूषण की पत्नी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में अयाची द्वारा याची के साथ क्रूरतापूर्ण व अमानवीय व्यवहार कारित करना प्रमाणित नहीं होता है।

(23) याची ने अयाची पर क्रूरता कारित करने एक आरोप यह भी लगाया है कि दिनांक 17.10.2013 को याची के सड़क दुर्घटना में दाहिने पैर में गम्भीर चोट आने से उसका दाहिना पैर घुटने के ऊपर से काट दिया गया और उक्त दुर्घटना के 15 दिन बाद ही नवम्बर 2013 में अयाची अपने माता पिता के बहकावे में आकर याची को छोड़कर सम्पूर्ण स्त्रीधन व पुत्र वरूण को साथ लेकर पीहर चली गई। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अयाची एन0ए0ड0–01 सुनीता प्रतिपरीक्षण में बताती है कि कौशल का एक्सीडेंट मोटरसाईकिल से

हुआ था, जिसका दाहिना पैर कटा था व दिल्ली में 07–08 महिने इलाज चला था। इस दौरान वह कौशल से मिलने नहीं जाने के तथ्य से इंकार किया। कौशल 04 महिने आई.सी.यू. में था, तब भी उक्त साक्षी मिलने जाना बताती है। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे दिनांक 02.06.2014 को मारपीट कर पहने हुए कपड़ो में ही पुत्र सहित घर से निकाल दिया। पक्षकारान की साक्ष्य के आधार पर यह स्वीकृत स्थिति है कि याची की सड़क दुर्घटना वर्ष 2013 में हो जाने से दिनांक 17.10.2013 को याची का दाहिना पैर घुटने के ऊपर से काट दिया गया और इस घटना के एक वर्ष की अवधि के भीतर ही अयाची याची के घर से चली गई। याची की ओर से प्रस्तुत स्थाई अयोग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श एन0ए0–01 प्रस्तुत किया है, जिसका कोई खण्डन भी अयाची ने नहीं किया है। अतः याची का अक्टूबर, 2013 में दाहिना पैर घुटने के ऊपर से काट दिये जाने के तथ्य स्थापित होते है। परन्तु याची की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह प्रगट होता हो कि याची का सड़क दुर्घटना में दाहिना पैर कट जाने के कारण ही अयाची ने याची का परित्याग कर दिया हो। ऐसी परिस्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अयाची का युक्तियुक्त व सद्भाविक कारण से याची का परित्याग किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

(24) याची ने अयाची पर क्रूरता कारित करने एक आरोप यह भी लगाया है कि दिनांक 16.06.2020 को याची अपने परिजनों व गांव के मुखिया लोगों को साथ लेकर अयाची को लाने ससुराल अटाली गया, जहां मुखिया लोगों ने अयाची व उसके परिजनों को समझाया, परन्तु अयाची ने याची के साथ आने से साफ इंकार कर दिया। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया। याची की ओर से गांव के किसी मुखिया, सरपंच, लम्बरदार या अपने किसी रिश्तेदार को साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया है, जिससे यह प्रगट होता हो कि याची दिनांक 16.06. 2020 को अपने परिजनों व गांव के मुखिया लोगों को साथ लेकर अयाची को लाने ससुराल अटाली गया हो। स्वयं याची ए0ड0–01 कौशल चन्द प्रतिपरीक्षण में बताते है कि उसने अपनी पत्नी को लाने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया, न ही धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम का केस फाईल किया। हालांकि साक्षी ए0ड0–02 ओमप्रकाश स्वयं तथा कौशल, सुनीता का समझौता कराने कई बार उनके घर जाना, कई बार सरंपच, लम्बरदार को वह खुद बोलकर

लेकर जाना बताते हैं, परन्तु किस दिनांक, माह व वर्ष में समझौता कराने गया, स्पष्ट नहीं किया। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि दिनांक 16.06.2020 या इसके पश्चात याची ने अयाची को लाने का प्रयास किया हो।

(25) अयाची ने याची पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट व घर से निकाले जाने के जो मौखिक आरोप लगाये है, उनके समर्थन में केवल मात्र अयाची के भाई एन0ए0ड0–02 सुनिल कुमार व अयाची के ही गांव का एक व्यक्ति एनए0ड0–03 सांवरमल शर्मा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण के कथनों का अवलोकन किया गया। साक्षी एनए0ड0–02 सुनिल जो अयाची का भाई है, वह प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि दहेज की मांग किये जाने के संबंध में उनके द्वारा कोई मुकदमा व शिकायत दर्ज नहीं करवायी गयी। इसके अतिरिक्त साक्षी ने ऐसी किसी दहेज की मांग व प्रताड़ना की घटना का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, जिससे यह प्रगट होता हो कि इस साक्षी के समक्ष कभी भी अयाची को प्रताड़ित किया गया हो। इस प्रकार अयाची की ओर से प्रस्तुत की गई समस्त साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अयाची फरवरी, 2004 में विवाह होने के पश्चात लगभग 10 वर्ष तक याची के परिवार के साथ रही और इस अवधि में अयाची को तंग परेशान किया जाकर मारपीट करने, दहेज की मांग किए जाने के संबंध में कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवायी गयी।

(26) अयाची ने जवाब याचिका व साक्ष्य शपथ पत्र में याची पर किसी अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का आरोप लगाया है, जिस संबंध में याची के विरूद्व संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना बताया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्वयं याची ए0ड0–01 कौशल चन्द ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 174/2020 पुलिस थाना अटेली में दर्ज हुई थी, उसने भारत भूषण की पत्नी को लिव इन रिलेशनशिप में रखा था। इस प्रकार स्वयं याची की स्वीकारोक्ति के आधार पर याची का भारतभूषण की पत्नी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में अयाची द्वारा याची के साथ क्रूरता कारित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

(27) अयाची सुनीता व उसके पुत्र वरूण कुमार की ओर से याची के विरूद्व विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी के समक्ष धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता का आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.02.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अयाची व उसके पुत्र वरूण को 04–04 हजार कुल 8000/–रूपए प्रतिमाह भरण पोषण राशि याची द्वारा अदा करने का आदेश पारित किया। याची की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2021 के विरूद्व अपीलीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, खेतडी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। याची की ओर से उक्त अपीलीय न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02 प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से यह प्रगट होता है कि उक्त अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2023 को अपील आंशिक स्वीकार कर अयाची के पुत्र वरूण को 5000/–रूपए प्रतिमाह भरण पोषण राशि याची द्वारा अदा करने का आदेश पारित किया। स्वयं याची ए0ड0–01 कौशल चन्द प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते है कि उसके बच्चे के भरण पोषण राशि न्यायालय के आदेश के अनुसार 04 लाख 55 हजार रूपए बकाया चल रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि एक पति का अपनी पत्नी व बच्चों के प्रति यह नैसर्गिक कर्तव्य है कि वह उनका भरण पोषण करे, परन्तु याची ने न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अपने पुत्र वरूण के भरण पोषण हेतु कोई राशि अयाची या उसके पुत्र वरूण को अदा नहीं की गई।

(28) इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्र मत में याची द्वारा अयाची पर जो क्रूरता कारित के आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों से याची को मानसिक पीड़ा, यातना या कष्ट, या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को हानि या खतरे की उचित आशंका हुई हो, ऐसी कोई पुष्टिकारक साक्ष्य याची की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वयं याची की स्वीकारोक्ति के आधार पर याची का अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना प्रमाणित होता है। याची ने अयाची से वैवाहिक संबंध बनाए रखने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया। याची अपनी साक्ष्य से क्रूरता व बिना युक्तियुक्त कारण अभित्याग का आरोप अपनी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है। अतः विवाद्यक संख्या 01 लगायत 03 याची के विरूद्व निर्णित किए जाते हैं।

विवाद्यक संख्या 04 अनुतोष

(29) यह विवाद्यक अनुतोष से संबंधित है। विवाद्यक संख्या 01 लगायत 03 याची अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः हस्तगत याचिका अस्वीकार किए जाने योग्य है।

– आदेश –

(30) परिणामतः याची कौशल चन्द द्वारा प्रस्तुत हस्तगत याचिका धारा–13 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 विरूद्ध अयाची श्रीमती सुनीता अस्वीकार की जाती है।

(31) खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(32) उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री बनाया जावे।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी, राजस्थान

(33) निर्णय आज दिनांक 05 मई, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी, राजस्थान